न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्रीकन्हैयालाल स्वामी आर 0ए0एस)

मु0 संख्या 42 / 2017

प्रार्थी खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर	ब ना म	अप्रार्थी 1 श्री देवीसिंह तंवर पुत्र श्रीमूलसिंह तंवर उम्र 37 वर्ष, जाति तंवर मूल निवासी– नई बस्ती रामदेवरा जैसलमेर राज. मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर (राज.) 2मालिक श्री जयकिशन राठी पुत्र श्री नारायण दास राठी निवासी चौधरियो का मोहल्ला, पोकरण मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर 3मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर (राज.)

(अपराध अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) एफ.एस.एस एक्ट 2006 नियम 2011)

–:: आदेश ::– दिनांकः 29नवम्बर 2017

श्रीलक्ष्मीकान्तगुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006व नियम 2011के तहत् न्याय निर्णयन आवेदन निम्न प्रकार पेश किया कि–

1. यह है कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 1033 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर आंवटित किया गया है और जैसलमेर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि अभियुक्त कं सं. 1. विक्रेता श्री देवीसिंह तंवर पुत्र श्रीमूलसिंह तंवर उम्र 37 वर्ष, जाति तंवर मूल निवासी– नई बस्ती रामदेवरा जैसलमेर राज. मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर (राज.) 2. मालिक श्री जयकिशन राठी पुत्र श्री नारायण दास राठी निवासी चौधरियो का मोहल्ला, पोकरण मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर 3. मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर हैं।
3. यह है कि दिनांक 12.07.2017 को 11एएम मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

दुकान, संस्थान पर विक्रेता श्री देवीसिंह तंवर पुत्र श्रीमूलसिंह तंवर उम्र 37 वर्ष, जाति तंवर मूल निवासी– नई बस्ती रामदेवरा जैसलमेर राज. मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर (राज.) पर कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र/पंजीयन दिखाने को कहा तो खाद्य पंजीयन दिखाया जिसकी छाया–प्रति संलग्न है।

4. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर मिर्च पाऊडर परिवार ब्राण्ड 500 ग्राम पॉलीपैक दुकान मे विक्रय कर रहा था, मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रतिं मौके पर मालिक विक्रेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् मिर्च पाऊडर परिवार ब्राण्ड 500 ग्राम पॉलीपैक नमूने वास्ते दिया जिसके पेटे 280 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

5. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद सुदा मिर्च पाऊडर परिवार ब्राण्ड 500 ग्राम पॉलीपैक को चारो नमूनो पर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोंड एवं सिरीयल नम्बर एन– 711 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। और बोतलों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–711 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील सें मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–711 मिर्च पाऊडर परिवार ब्राण्ड 500 ग्राम पॉलीपैक लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनो भागो को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होनें पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

6. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर दिनांक 13.07.2017 को स्वयं लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 12.07.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/24080–82 दिनांक 18.09.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **L.S./654/Act/2017/655** – दिनांक 18.07.2017 अनुसार उक्त नमुना अमानक (मिथ्याछाप) पाया गया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

8. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/स्वी./एन–711/28221 दिनांक9.11.2017.के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

9. यह है कि उक्त केस में विक्रेता एवं मालिक क्र सं. 1. विक्रेता श्री देवीसिंह तंवर पुत्र श्रीमूलसिंह तंवर उम्र 37 वर्ष, जाति तंवर मूल निवासी– नई बस्ती रामदेवरा जैसलमेर राज. मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर (राज.) 2. मालिक श्री जयकिशन राठी पुत्र श्री नारायण दास राठी निवासी चौधरियो का मोहल्ला, पोकरण मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर 3. मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर ने अमानक मिर्च पाऊडर परिवार ब्राण्ड 500 ग्राम पॉलीपैक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

10. श्रीमान जी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगाशा तथा सलग्न प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर इस्तगाशा दर्ज किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल दिनांक 27.11.17 को उपस्थित हुवा तथा लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया :–

1– यह कि गैरसायल द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की है परिवार ब्राण्ड पेक आईटम का विक्रय किया है।

2– यह कि नमूना जॉच सेम्पल मात्र मिस ब्राण्ड पाया गया है किसी प्रकार की मिलावट या अमानक नही पाया गया है । मिस ब्राण्ड रिपोर्ट आई है जिसके लिए गैरसायल दोषी नही है ।

3– यह कि फिर भी मान्य न्यायालय इसके लिए दोषी मानती है तो प्रार्थीगण मामले को लोक अदालत की भावना से निस्तारण की प्रार्थना करते हुवे प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते है । यह कि भविष्य में पूर्ण सतर्कता बरतेंगें ।

कृप्या आईन्दा पेशी हाजरी माफी प्रदान करावें तथा प्रकरण में लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु निवेदन करते है ।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

गैरसायल द्वारा जुर्म स्वीकार करनें से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करनें अथवा साक्ष्य सबूत पेश करनें की आवश्यकता नही रही है ।गैरसायल द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रार्थना की है जुर्म स्वीकार कर लेनें से गैरसायलान द्वारा अमानक मिथ्याछाप मिर्च पाऊडर परिवार ब्राण्ड 500 ग्राम पॉलीपैक **का** विक्रय करनें के दोषी साबित है जिससे स्पष्ट है कि गैरसायलान द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 ।। का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 एवम् नियम2011 की धारा 51, में निर्धारित है । अतः लोक अदालत की भावना से सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाते हुवे गैरसासायलान पर सयुक्त रूप से रूपये 20,000/- अखरे रूपये बीस हजार मात्र की शास्ति अर्थ दण्ड आदेशित **किया जाता है । आदेशित अर्थ दण्ड की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवम अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के न्यायालय में जरिये चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से** एक माह के अन्दर जमा करवाकर पालना पालना पेश करें ।

निर्णय आज दिनांक 29 .11 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैयालाल स्वामी)
न्याय निर्णयन अधिकारीएवम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर

क्रमांक/एफएसएसएक्ट/निर्णय/17/ दिनांकः- 29 .11.2017

प्रतिलिपीः- निम्न को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ प्रेषित हैः-

1-खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवम् निदेशक (जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाए जयपुर

2-अभिहीत अधिकारी एवम् मुख्यचिकित्सा अधिकारी जै/खाद्यसुरक्षाअधिकारी जैसलमेर

3 विक्रेता श्री देवीसिंह तंवर पुत्र श्रीमूलसिंह तंवर उम्र 37 वर्ष, जाति तंवर मूल निवासी- नई बस्ती रामदेवरा जैसलमेर राज. मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर (राज.)

4मालिक श्री जयकिशन राठी पुत्र श्री नारायण दास राठी निवासी चौधरियो का मोहल्ला, पोकरण मैसर्स बंजरग किराणा स्टोर, नाचना रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण, जैसलमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जैसलमेर